मॉड्यूल 2: ज़िला बाल संरक्षण इकाई

सत्र 1: ज़िला बाल संरक्षण इकाई का परिचय और इसकी रूपरेखा

अवधिः 2:30 मिनट

आईए अब यह जानें कि बाल संरक्षण सेवाएं (पूर्ववर्ती समेकित बाल संरक्षण योजना) किस प्रकार गैर–संस्थागत देखरेख के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती ह।

बाल संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत प्रायोजन एवं पालक देखरेख निधि का सृजन किया गया है, जिसे ज़िला बाल संरक्षण इकाई के निर्णय के अनुसार व्यय किया जाएगा। प्रत्येक जिले में प्रायोजन एवं पालक देखरेख अनुमोदन समिति गठित की जाएगी, जो प्रायोजन तथा पालक देखरेख के लिए (केवल निवारक स्थितियों के लिए) वित्तीय अनुमोदन एवं समीक्षा करेगी। इस समिति की बैठक हर माह होगी और किसी भी मामले का निस्तारण, आवेदन प्राप्त होने की तिथि के तीन माह के अन्दर किया जाएगा।

प्रायोजन एवं पालक देखरेख अनुमोदन समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी– (अध्यक्ष)
- संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख)–सदस्य
- अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति– सदस्य
- विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण का प्रतिनिधि–सदस्य
- बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्था का प्रतिनिधि–सदस्य

आईए अब हम बच्चों हेतु गैर संस्थागत देखरेख में, ज़िला बाल संरक्षण इकाई की मुख्य (नोडल) भूमिका के बारे में समझें।

ज़िला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत गैर–संस्थागत देखरेख में शामिल हैं–

- पालक देखरेख (Foster Care)
- प्रायोजन (Sponsorship)
- दत्तक ग्रहण (Adoption), एवं
- पश्चात्वर्ती देखरेख (After Care)

इन सबके बारे में हम मॉड्यूल–6 में विस्तार से चर्चा करेंगे।